संख्या-04/2016/613 /26-2-2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त जिलाधिकारी**,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 मार्च, 2016

विषयः- समाजवादी पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन/पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)/विकलांग भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के डाटा की आधार नम्बर से सीडिंग तथा सत्यापन विषयक

महोदय,

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लाभर्थियों के डाटा बेस का डिजिटाइजेशन तथा आधार संख्या लिंकेज करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पूर्व में इस संबंध में नियोजन विभाग द्वारा भी निर्देश निर्गत किये गये हैं। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 का 'डिजिटाइज्ड डाटा' एकीकृत सामाजिक पेंशन योजना के वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर उपलब्ध है तथापि आधार संख्या लिंकेज करने में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है।

2- अद्यावधिक सूचना के अनुसार प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत व्यक्तियों के आधार नंबर सृजित कर दिये गये हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों के आधार नंबर सृजित किये गये हैं। अतः समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अधिसंख्य लाभार्थियों के आधार संख्या उपलब्ध होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में **आधार संख्या लिंकेज** के कार्य को युद्ध स्तर पर अगले 03 माह के दौरान संपादित किया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ-साथ लाभार्थियों (अथवा उनके परिजनों) के **मोबाईल नंबर** को भी इकट्ठा किया जाना है ताकि लाभार्थियों को पेंशन की राशि अंतरित किये जाने तथा खाते में जमा होने की सूचना **एस0एम0एस0** के माध्यम से उपलब्ध करायी जा सके। इस प्रयोजनार्थ तकनीकी प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जा रही है:-

I. सम्बन्धित योजना का डाटा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जनपदवार/ विकासखण्डवार/ग्राम पंचायतवार डाटा तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये जनपदवार/नगर पंचायत/वार्डवार सम्बन्धित जनपदीय कल्याण अधिकारियों (समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग जन विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी) के लॉगिन पर उपलब्ध होगा।

II. उक्त डाटा को ग्रामवार/शहरी निकाय वार एक्सेल फारमेट में डाउनलोड किया जा सकेगा। एक्सेल शीट पर लाभार्थी से सम्बन्धित सभी मुख्य विवरण उपलब्ध रहेंगे। अन्तिम दो कालम में **आधार संख्या** तथा लाभार्थी का **मोबाईल नम्बर** अंकित करने हेतु व्यवस्था होगी।

III. सर्वेक्षण हेतु ग्रामवार/शहरी निकाय वार लाभार्थियों का डाटा सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध करा दिया जायेगा जो सम्बन्धित ग्राम/शहरी निकाय के लाभार्थियों के घर जाकर उसका आधार एवं मोबाईल नम्बर को उपलब्ध करायी गयी एक्सेल शीट के प्रिंट आउट में दर्ज कर लेंगे।

IV. तत्पश्चात एकत्रित किये गये ग्रामवार/शहरी निकाय वार प्रपत्रों को एक्सेल शीट (ऑफलाइन मोड) में निर्धारित कालमों में इन्ट्री कराकर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करा देगे।

V. जिला कल्याण अधिकारियों के लॉगिन पर उक्त एक्सेल शीट को **एक्स0एम0एल0 फारमेट** (xml format) में अपलोड करने का विकल्प रहेगा। इस माध्यम से अपलोड डाटा सीधे राज्य स्तरीय सर्वर पर डाटाबेस में अपडेट हो जायेगा।

3- उपरोक्त कार्यवाही को संपादित करने हेतु सर्वप्रथम जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग जन विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी संबंधित पेंशन योजनाओं के विकास खण्ड वार/ग्राम पंचायत वार/शहरी निकाय/वार्ड वार लाभार्थियों का विवरण एक्सेल फारमेट में डाउनलोड कर तथा प्रिंटआउट लेकर समस्त खण्ड विकास अधिकारियों तथा उपजिलाधिकारियों को **दिनांक 31 मार्च, 2016 तक** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संबंधित खण्ड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के पात्र/अपात्र होने तथा जीवित/मृत होने का सत्यापन तथा आधार संख्या एवं मोबाईल नंबर प्राप्त करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो यह कार्य विलंबतम **दिनांक 25 अप्रैल, 2016 तक** पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में संबंधित उप जिलाधिकारी यह कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

5- तदुपरांत संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी ग्रामवार/शहरी निकाय/वार्ड वार एकत्रित प्रपत्रों को एक्सेल शीट (ऑफलाइन मोड) में निर्धारित कालमों में इन्ट्री कराकर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों को **विलंबतम दिनांक 15 मई, 2016 तक** उपलब्ध करा देंगे।

6- संबंधित जिला कल्याण अधिकारी अपने लॉगिन से उक्त एक्सेल शीट को एक्स0एम0एल0 फारमेट (xml format) में तत्काल अपलोड करने की कार्यवाही करेंगे। इस तरह अपलोड किया गया डाटा सीधे राज्य स्तरीय सर्वर पर डाटाबेस में अपडेट हो जायेगा।

7- तदुपरांत एन0आई0सी0 की राज्य इकाई द्वारा प्रतिदिन अपलोड किये गये डाटा बेस को यू0आई0डी0ए0आई0 के सर्वर पर स्थानांतरित कर आधार संख्या का सत्यापन कराया जायेगा। जिन लाभार्थियों के आधार संख्या का सत्यापन नहीं हो पाता है, उनकी सूचना जिला कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर नियमित रूप से उपलब्ध हो जायेगी ताकि इन मामलों में वह पुनः परीक्षण कराकर सही आधार संख्या अंकित कराने की कार्यवाही कर सकें।

8- सत्यापन एवं आधार नम्बर संकलन के दौरान कुछ ऐसे लाभार्थी हो सकते हैं जिनके अभी आधार कार्ड नहीं बने होंगे और उनके पास ई0आई0डी0 स्लिप भी नहीं उपलब्ध होगी। संबंधित नामित अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना तत्काल संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी के माध्यम से आधार कार्ड तैयार करने हेतु जनपदीय नामित एजेन्सी से सम्पर्क कर संबंधित लाभार्थियों का आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उनसे संबंधित विवरण अलग से **दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक** अनिवार्यतः उपरोक्त प्रक्रियानुसार खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तदुपरांत संबंधित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी ऐसे लाभार्थियों की सूचना एक्सेल शीट (ऑफलाइन मोड) में निर्धारित कालमों में इन्ट्री कराकर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों को **विलंबतम दिनांक 20 मई, 2016 तक** उपलब्ध करा देंगे।

9- राज्य स्तरीय सर्वर पर डाटाबेस अपडेट हो जाने के उपरांत संबंधित जिला कल्याण अधिकारी अपने डिजिटल सिग्नेचर से विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हुए लॉक करेंगे, जिसके आधार पर लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान जून, 2016 में किया जायेगा।

10- यह स्पष्ट किया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष से लाभार्थियों का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक उनका आधार संख्या लिंकेज तथा मोबाईल नंबर के एकत्रीकरण का कार्य एवं राज्य स्तरीय सर्वर पर डाटाबेस के अपडेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। उक्त सूचना अपडेट हो जाने पर सभी लाभार्थियों को नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

11- एन0आई0सी0 की राज्य इकाई द्वारा पी0एफ0एम0एस0 से संपर्क कर यह व्यवस्था की जायेगी कि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से बैंक डाटा बेस में आधार संख्या की सीडिंग का कार्य भुगतान के पूर्व/दौरान सम्पन्न हो जाय।

12- जनपद स्तर पर विभिन्न चरणों में उपरोक्तानुसार सत्यापन एवं आधार नम्बर के सीडिंग से संबंधित कार्यवाही समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने हेतु **मुख्य विकास अधिकारी** उक्त कार्यक्रम के **नोडल अधिकारी** होंगे।

13- समाजवादी पेंशन के नये लाभार्थियों के चयन के समय ही उनका आधार संख्या तथा मोबाईल नंबर एकत्र कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय ताकि उनको समस्त भुगतान आधार संख्या लिंकेज हो जाने के साथ किया जा सके।

14- लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन भी सावधानीपूर्वक किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2015-16 में समाजवादी पेंशन के लगभग 1.32 लाख लाभार्थी, वृद्धावस्था पेंशन के लगभग 1.97 लाख लाभार्थी, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) योजना के लगभग 62 हजार लाभार्थी एवं विकलाग भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) योजना के लगभग 23 हजार लाभार्थियों के पेंशन को रोका गया। ऐसा जांच के दौरान मुख्य रूप से लाभार्थी के अपात्र/मृतक पाये जाने के कारण किया गया। अतः लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के कार्य को केवल ग्राम स्तरीय अधिकारियों पर न छोड़ा जाय वरन् जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियो की टीम बनाकर रैंडम जांच भी करा लिया जाय। मृतक/अपात्र पाये गये लाभार्थियों के स्थान पर नये पात्र लाभार्थियों का चयन भी नियमानुसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

15- सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय से वितरण सुनिश्चित कराना प्रदेश सरकार के प्राथमिकता के कार्यक्रमों में सम्मिलित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित लाभार्थियों को पेंशन की प्रथम त्रैमासिक किश्त का भुगतान माह जून, 2016 तक किया जाना है। अतः आपसे अपेक्षा है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मासिक/पाक्षिक समीक्षा बैठकों में उक्त कार्य की प्रगति का सम्यक् अनुश्रवण करते हुए उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत कराना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या-04/2016/613(1)/26-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन
2. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन
3. सचिव, विकलांग जन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
4. निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण/विकलांग जन विकास, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, उ0प्र0, लखनऊ
7. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला विकलांग जन विकास अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in